आजमगढ़ महायोजना 2011

हेतु

जोनिंग रेगुलेशन्स

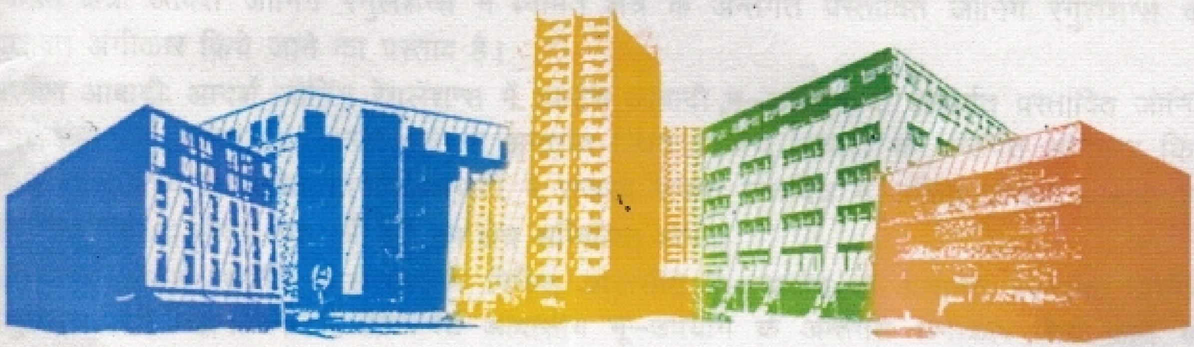

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण

आजमगढ़

दूरभाष 05462–260442
ई.मेल–aptcp.az-up@gov.in

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की प्रस्तावित 11वीं बोर्ड बैठक दिनांक: 19.08.2016 की कार्यसूची के अतिरिक्त मद संख्या– 1 पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव (आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को आजमगढ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में प्रभावी करने हेतु अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में) का विस्तृत विवरण

आजमगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में वर्तमान में आजमगढ़ महायोजना 2011 के प्रस्तावों एवं महायोजना में संलग्न जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार मानचित्र स्वीकृत किये जा रहें है। आजमगढ़ महायोजना 2011 में संलग्न जोनिंग रेगुलेशन्स में विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत उक्त भू–उपयोग से सम्बन्धित क्रियाएं/उपयोग को अनुमन्य किया गया है एवं कतिपय क्रियाओं/उपयोगों को सक्षम स्तर से सशर्त अनुमन्य किया गया है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या 379/9–आ–3–72–वि/94 दिनांक 25.01.2002 द्वारा पुरानी महायोनाओं में परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जिटिलताओं को समाप्त कर आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों को आवश्यक परिस्कारों सहित अंगीकार किये जाने हेतु प्रेषित की गयी थी। तदनुक्रम में आजमगढ़ महायोजना 2011 में संलग्न जोनिंग रेगुलेशन्स के स्थान पर महायोजना में प्रस्तावित भू–उपयोगों के अनुसार आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स को संशोधित कर आजमगढ़ महायोजना 2011 हेतु नई जोनिंग रेगुलेशन्स तैयार की गयी है जिसका विवरण निम्नवत है:–

1. **निर्मित क्षेत्र:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में निर्मित क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को यथावत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।
2. **ग्रामीण आबादी:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में ग्रामीण आबादी भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को आजमगढ़ विकास क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त ग्रामीण आबादी में राजस्व सजरा मानचित्र में अंकित ग्रामीण आबादी एवं उसे चर्तुदिक 50 मीटर तक की दूरी का क्षेत्र सम्मिलित होगा।
3. **आवासीय:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में मिश्रित आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को महायोजना में प्रस्तावित आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।
4. **केन्द्रीय क्रियाएं:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएं भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को आजमगढ़ महायोजना 2011 के प्रतिवेदन में उल्लेखित सेक्टर– 2, 27 एवं 34 में प्रस्तावित केन्द्रीय क्रियाएं भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।
5. **उद्योग:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में लघु उद्योग भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को महायोजना में प्रस्तावित उद्योग भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।
6. **कृषि मण्डी:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में व्यावसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को महायोजना में प्रस्तावित कृषि मण्डी भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है। उक्त के अतिरिक्त आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में व्यावसायिक भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को आजमगढ़ महायोजना 2011 के प्रतिवेदन में उल्लेखित सेक्टर– 3, 5, 9 एवं 20 में प्रस्तावित केन्द्रीय क्रियाएं (सिनेमा, वाणिज्य एवं व्यावसाय तथा अन्य भू–उपयोग जो जोनिंग रेगुलेशन्स में अनुमन्य हैं) भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।
7. **बस अड्डा, यातायात नगर:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में यातायात एवं परिवहन भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को महायोजना में प्रस्तावित बस अड्डा, यातायात नगर भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।
8. **जिला कारागार:** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में सार्वजनिक एवं अर्ध–सार्वजनिक सुविधाएं भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को आजमगढ़ महायोजना 2011 में प्रस्तावित जिला कारागार भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।

दूरभाष 05462–260442
ई.मेल–aptcp.az-up@gov.in

9. **सीवेज फार्मः** आजमगढ़ महायोजना 2011 में प्रस्तावित सीवेज फार्म भू–उपयोग के समरूप आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कोई भू–उपयोग उपलब्ध न होने के कारण पृथक से जोनिंग रेगुलेशन तैयार की गयी है।

10. **पार्क एवं क्रीडा स्थलः** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में पार्क, खुले स्थल एवं क्रीडा स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को महायोजना में प्रस्तावित पार्क एवं क्रीड़ा स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।

11. **वनीकरणः** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में हरित पट्टी भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को महायोजना में प्रस्तावित वनीकरण भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।

12. **कृषि हरित पट्टीः** आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स में कृषि भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स को महायोजना में प्रस्तावित कृषि हरित पट्टी भू–उपयोग के अन्तर्गत अंगीकार किये जाने का प्रस्ताव है।

अतः उपरोक्तानुसार तैयार की गयी आजमगढ़ महायोजना 2011 की जोनिंग रेगुलेशन्स बोर्ड के समक्ष अंगीकार किये जने हेतु प्रस्तुत है।

आजमगढ महायोजंना–2011 जोनिंग रेगुलेशन्स

1. परिचय

1.1 जोनिंग के उद्देश्य

महायोजना में सामान्यतः प्रमुख भू–उपयोगों यथा आवासीय, वाणिज्यक, औद्योगिक, कार्यालय, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क एवं खुले स्थल, कृषि आदि को ही दर्शाया जाता है। प्रमुख भू–उपयोगों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुषांगिक क्रियाएं (Activities) जिन्हें महायोजना मानचित्र पर अलग से दर्शाया जाना सम्भव नहीं है, की अनुज्ञा जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर प्रदान की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा महायोजना में भी विविध अनुषांगिक (Ancillary/Incidental) क्रियाओं/उपयोगों का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन्स तथा प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार किया जाना अपेक्षित है ताकि जन स्वास्थ्य, कल्याण एवं सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

1.2 जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं

नगरों के परिवर्तनशील भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवेश में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। प्रस्तुत जोनिंग रेगुलेशन्स में प्रमुख भू–उपयोग जोन्स के अन्तर्गत विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता को समय के परिप्रेक्ष्य में अनुक्रियाशील (Responsive) बनाने तथा अनुज्ञा की प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के उद्देश्य से समुचित प्राविधान किए गए है। आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स की मुख्य विशेषताएं (Salient features) निम्न प्रकार हैः–

(i) परम्परागत जोनिंग रेगुलेशन्स में व्याप्त जटिलताओं को समाप्त कर सरल बनाया गया है। इस हेतु प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता को ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Maytrix) के माध्यम से सर्वग्राही एवं User friendly बनाया गया है।

(ii) विद्यमान महायोजनाओं में अपनाई गई परम्परागत "Regimented" भू–उपयोग पद्धति के स्थान पर "Flexible" एवं "मिश्रित भू–उपयोग" कान्सेप्ट को अपनाया गया है जो नगरों के गतिशील विकास में प्रोत्साहनस्वरूप होगा।

(iii) मिश्रित भू–उपयोगों की अनुमन्यता उनकी अनुषांगिकता तथा कार्यपूर्ति मापदण्डों पर आधारित की गई है ताकि परस्पर आश्रित भू–उपयोगों की आपरेशनल एवं आर्थिक कार्य–क्षमता में वृद्धि हो और किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन का मूल स्वरूप विकृत न होने पाए।

(iv) जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य क्रियाओं हेतु प्रभाव शुल्क लिये जाने की व्यवस्था की गई है जिसके फलस्वरूप प्राधिकरण/परिषद को अवस्थापना विकास कार्यों हेतु अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे।

(v) जोनिंग रेगुलेशन्स में "फ्लोटिंग" भू–उपयोग कान्सेप्ट अपनाया गया है जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएं जो महायोजना/जोनल प्लान में परिकल्पित नहीं है, को भविष्य में गुण–अवगुण के आधार पर सम्बन्धित भू–उपयोग में अनुमन्य किया जा सकेगा।

(vi) प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा प्रदान करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य किए जाने वाले उपयोगों के परीक्षण एवं विकास प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति करने के लिए समिति के गठन की व्यवस्था की गई है।

झीलों, आदि को उनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल के विवरण सहित सूचीबद्ध कर, महायोजना/जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में उनके संरक्षण हेतु समुचित प्राविधान किए जाने अनिवार्य होंगे।

1.6 प्रभाव शुल्क (Impact Fee)

विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित योजनाओं/नियोजित रूप से विकसित क्षेत्रों में जहाँ नियोजन मानकों के अनुसार अनुषांगिक कियाओं का प्राविधान किया जा चुका है, के अन्तर्गत वर्तमान अथवा भविष्य में कतिपय अन्य कियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त हो सकते हैं/होंगे/ ऐसे आवेदनों पर जोनिंग रेगुलेशन्स में निहित प्राविधानों के अधीन ही विचार किया जाएगा। यदि निम्न भू–उपयोग जोन में उच्च उपयोग की अनुज्ञा प्रदान की जाती है तो इसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्र में यातायात, अवस्थापनाओं तथा पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, अतः ऐसी अनुज्ञा के समय आवेदक द्वारा प्रभाव शुल्क (Impact Fee) देय होगा, जिसका 90 प्रतिशत अंश विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद के अवस्थापना विकास फण्ड में जमा किया जाएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन भू–उपयोग परिवर्तन निहित हो, में भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा जबकि जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु केवल प्रभाव शुल्क देय होगा। प्रभाव शुल्क महायोजना में निम्न भू–उपयोग के उच्च उपयोग में परिवर्तन शुल्क से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–3712/9–आ–3–2000–26 एल.यू.सी./91 दिनांक 21.8.2001 एवं तत्सम्बन्धित प्रभावी अन्य शासनादेशों में निहित व्यवस्था को आधार मानकर वसूल किया जाएगा। प्रभाव शुल्क की राशि सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य कियाओं हेतु उक्त शासनादेश में निर्धारित शुल्क की 25 प्रतिशत तथा विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं हेतु 50 प्रतिशत होगी। प्रभाव शुल्क का आंकलन विकास प्राधिकरण/आवास एवं विकास परिषद की वर्तमान सेक्टर(आवासीय) दर, प्राधिकरण/परिषद की दर न होने की दशा में भूमि के विद्यमान भू–उपयोग के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा। विभिन्न भू–उपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम एवं प्रभाव शुल्क के निर्धारण की पद्धति जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–6 में दी गई है।

प्रभाव शुल्क निम्न परिस्थितियों में देय नहीं होगा :–

(i) निर्मित क्षेत्र में सामान्यतः अनुमन्य एवं सशर्त अनुमन्य अथवा विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं/उपयोगों हेतु,

(ii) शुद्ध/मिश्रित आवासीय भू–उपयोग जोन में शासकीय एवं अर्द्ध–शासकीय अभिकरणों तथा चैरिटेबल संस्थाओं द्वारा विकसित की जाने वाली सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं/कियाओं हेतु,

(iii) विभिन्न प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में अस्थायी रूप से अनुमन्य की जाने वाली कियाओं/उपयोगों हेतु,

(iv) राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न नीतियों–पर्यटन नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, फिल्म नीति आदि के अधीन जिन कियाओं/उपयोगों को शासकीय आदेशों के अनुसार कतिपय भू–उपयोग जोन्स में अनुमन्य किया गया है, हेतु प्रभाव शुल्क देय नहीं होगा यथा आवासीय क्षेत्र में मल्टीप्लेक्स तीन स्टार तक के होटल तथा पाँच के.वी.ए. क्षमता तक की सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों/सूचना प्रोद्योगिकी पार्क।

1.7 अनुज्ञा की प्रकिया

1.7.1 प्रमुख भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत पूर्व विकसित योजनाओं/क्षेत्रों में मूल उपयोग से इतर क्रिया/उपयोग(भले ही जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार ऐसी क्रिया/उपयोग सामान्यतः अनुमन्य/सशर्त अनुमन्य/विशेष अनुमति से अनुमन्य हो) अनुमन्य किए जाने हेतु न्यूनतम एक माह की समायावधि प्रदान करते हुए जनता से आपत्ति/सुझाव, उचित माध्यमों से आमंत्रित किये जायेंगे एवं इन आपत्तियों/सुझावों के निस्तारण के उपरान्त ही स्वीकृति/अस्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी। अनुज्ञा से सम्बन्धित आवेदन पत्र का निस्तारण प्राप्ति के दिनांक से अधिकतम 60 दिन में सुनिश्चित किया जाएगा।

1.7.2 विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्य कियाओं की विशेष अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में एक समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा तथा समिति की संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। उक्त समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

(i) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि,

(ii) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी,

(iii) अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य

1.7.3 जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन आवेदक द्वारा किसी क्रिया अथवा उपयोग की अनुज्ञा अधिकार स्वरूप प्राप्त नहीं की जा सकती।

1.8 अन्य अपेक्षाएं

1.8.1 महायोजना में चिन्हित प्रमुख भू-उपयोग जोन्स के अन्तर्गत किसी किया या विशिष्ट उपयोग हेतु प्रस्तावित स्थल पर विकास/निर्माण, उस किया या विशिष्ट उपयोग की अनुषांगिकता के अनुसार ही अनुमन्य होगा। उदाहरणार्थ, सामुदायिक सुविधाओं में अस्पताल उपयोग के अन्तर्गत केवल अस्पताल तथा उसकी अनुषांगिक क्रियाएं ही अनुमन्य होंगी।

1.8.2 महायोजना में प्रस्तावित किसी भू-उपयोग जोन के अन्तर्गत वर्तमान वन क्षेत्र या सार्वजनिक सुविधाओं एवं उपयोगिताओं में सम्बन्धित स्थल, जैसे पार्क, कीडा-स्थल तथा सड़क आदि का वर्तमान वास्तविक उपयोग यही रहेगा भले ही, महायोजना में उन स्थलों का प्रमुख भू-उपयोग अन्यथा दर्शाया गया हो।

1.8.3 यदि अधिनियम के अन्तर्गत किसी परिक्षेत्र (जोन्स) की परिक्षेत्रीय विकास योजना या किसी स्थल का ले-आउट प्लान सक्षम स्तर से अनुमोदित है तो ऐसी स्थिति में उक्त स्थल/भूखण्ड का अनुमन्य भू-उपयोग परिक्षेत्रीय विकास योजना या विन्यास मानचित्र में निर्दिष्ट उपयोग के अनुसार ही होगा।

1.8.4 प्रस्तावित जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत सभी भू-उपयोग श्रेणियों (अनुमन्य, सशर्त अनुमन्य, विशेष अनुमति से अनुमन्य) में विकास एवं निर्माण कार्य भवन उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किया जाना अपेक्षित है।

1.9 परिभाषाएं

1.9.1 मिश्रित आवासीय तथा "शुद्ध आवासीय" का तात्पर्य महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में उक्त प्रयोजन हेतु दर्शित आवासीय भू-उपयोग से है। इन रेगुलेशन्स के प्रयोजनार्थ विद्यमान महायोजनाओं के अन्तर्गत शुद्ध आवासीय तथा मिश्रित आवासीय क्षेत्र का चिन्हीकरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

1.9.2 इन रेगुलेशन्स हेतु "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उ0 प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 के अन्तर्गत घोषित विकास क्षेत्र की स्थिति में विकास प्राधिकरण बोर्ड, उ0 प्र0 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, 1986 के अन्तर्गत घोषित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बोर्ड तथा उ0 प्र0 (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत घोषित विनियमित क्षेत्र की स्थिति में नियन्त्रक प्राधिकारिणी से है।

1.9.3 "निर्मित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो महायोजना में इस रूप में परिभाषित किया गया है। जिन नगरों की महायोजनाएं नहीं बनी हैं अथवा "निर्मित क्षेत्र" परिभाषित नहीं हैं, विकास प्राधिकरण बोर्ड स्तर पर इस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लेकर व्यवस्था की जाएगी। इसके निमित्त विकास क्षेत्र में स्थित ऐसे सघन आबादी क्षेत्र को "निर्मित क्षेत्र" परिभाषित किया जायेगा जिसके अधिकतर भाग का विकास व्यावसायिक, औद्योगिक अथवा निवास क्षेत्र के रूप में किया गया हो और जिसमें

आवश्यक सुविधाओं यथा सड़कों, जल–सम्भरण, मल–प्रवाहण, विद्युत–आपूर्ति आदि की व्यवस्था की गई हो।

1.9.4 "विकाशील/अविकसित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो निर्मित क्षेत्र के बाहर परन्तु विकास क्षेत्र के अन्तर्गत है।

2. भू–उपयोग परिसरों / क्रियाओं की परिभाषाएं

2.1	आवासीय	
2.1.1	एकल आवास	यह परिसर, जिसमें स्वतंत्र आवासीय इकाईयाँ(भूखण्डीय आवास) हों।
2.1.2	समूह आवास (ग्रुप हाऊसिंग)	वह परिसर, जिसमें दो या इससे अधिक मंजिल का भवन एवं होगा प्रत्येक तल पर स्वतंत्र आवासीय इकाईयों होंगी तथा जिसमें भूमि एवं सेवाओं, खुले स्थलों व आवागमन के रास्ते ही भागीदारी एवं सह–स्वामित्व होगा।
2.1.3	आनुषांगिक कर्मचारी आवास	वह परिसर, जिसमें किसी प्रमुख उपयोग में कार्यरत कर्मचारियों हेतु उसी उपयोग में आवासीय ईकाईयों का प्राविधान स्वतंत्र अथवा समूह आवास के रूप में किया गया हो, जिसका अधिकतम क्षेत्रफल योजना के कुछ क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत या 4000 वर्गमीटर जो भी कम हो।
2.1.4	चौकीदार / संतरी आवास	वह परिसर, जिसमें अनुषांगिक उप–उपयोग की सुरक्षा एवं रख–रखाव से सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु आवासीय व्यवस्था की गई हो।
2.2	व्यावसायिक	
2.2.1	फुटकर दुकानें	वह परिसर, जहाँ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री सीधे उपभोक्ता को की जाती हो।
2.2.2	शो–रूम	वह परिसर, जहाँ वस्तुतओं की बिक्री एवं उनका संग्रह, उपभोक्ताओं की प्रदर्शित करने की व्यवस्था के साथ की जाती है।
2.2.3	आटा चक्की	वह परिसर, जहाँ गेहूँ, मसालों इत्यादि सूखे भोजन पदार्थों को पीस कर दैनिक प्रयोग हेतु तैयार जाता हो।
2.2.4	थोक मण्डी / व्यापार	वह परिसर, जहाँ माल और वस्तुएं थोक व्यापारियों को बेची और सुपुर्द की जाती है। परिसर में भण्डारण व गोदाम और माल चढ़ाने एवं उतारने की सुविधाएं भी शामिल हैं।
2.2.5	कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)	वह परिसर, जहाँ आवश्यक तापमान आदि बनाए रखने के लिए यान्त्रिक और विद्युत साधनों का प्रयोग करके आवृत्त स्थान में नाशवान वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो।
2.2.6	होटल	वह परिसर जिसका उपयोग ठहरने के लिए खाने सहित या खाने रहित अदायगी करने पर किया जाता है।
2.2.7	मोटल	वह परिसर, जो नगरीय सीमाओं के बाहर मुख्य मार्ग के किनारे स्थित हो और जहाँ यात्रियों की सुविधाओं के लिए ठहरने सहित खान–पान का प्रबन्ध तथा वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था हो।
2.2.8	कैन्टीन	वह परिसर, जिसके संस्था के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
2.2.9	भोजनालय, जलपान गृह / रेस्टोरेन्ट	वह परिसर, जिसे संख्या के कर्मचारियों के लिए कुकिंग सुविधाओं सहित खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करने के लिए उपयोग किया जाता हो। इसमें बैठने का स्थान हो सकता है।
2.2.10	सिनेमा	वह परिसर, जिसमें दर्शकों के बैठाने के लिए आवृत्त स्थान सहित चलचित्र के प्रक्षेपण सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.2.11 मल्टीप्लेक्स (बहुसामुच्य)	वह परिसर, जिसमें फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम तकनीकी सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं तथा आनुषांगिक व्यावसायिक कियाओं की व्यवस्था एक काम्पलेक्स में हो।
2.2.12 पी.सी.ओ./सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	वह परिसर, जहाँ से स्थानीय, अन्तर्राजीय, देश–विदेश, इत्यादि में दूरभाष अथवा सेल्यूलर पर शुल्क अदा करके बातचीत किए जाने की व्यवस्था हो।
2.2.13 पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन	उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद बेचने का परिसर जिसमें ओटोमोबाइल्स की सर्विसिंग भी शामिल हो सकती है।
2.2.14 गैस गोदाम/ गैस अधिष्ठान	वह परिसर, जहाँ कुकिंग गैस या गैस सिलिन्डरों का भण्डारण किया जाता हो।
2.2.15 जंकयार्ड/कबाड़खाना	वह परिसर, जहाँ निष्प्रयोज्य माल, वस्तुओं और सामग्री की बिकी और खरीद सहित आवृत्त अथवा, अर्द्ध–आवृत्त अथवा खुला भण्डारण किया जाता हो।
2.2.16 भण्डारण गोदाम, वेयर–हाउसिंग	वह परिसर, जिसे सम्बन्धित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुसार माल और वस्तुओं के केवल भण्डारण के लिए उपयोग किया जाता हो। ऐसे परिसर में सड़क परिवहन या रेल परिवहन जैसी भी स्थिति हो, द्वारा माल चढ़वाने और उतारने की सुविधाएं शामिल हैं।
2.3 औद्योगिक	
2.3.1 खनन सम्बन्धी उद्योग	वह परिसर, जिसमें पत्थर एवं अन्य भूमिगत सामग्रियों को खोद कर निकालने एवं प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता हो।
2.3.2 साफ्टवेयर/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क	वह परिसर, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग होने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर, इस क्षेत्र के अद्यतन प्रोद्योगिकी के अन्य साफ्टवेयर इत्यादि का निर्माण किया जाता हो।
2.3.3 तेल डिपो	वह परिसर, जहाँ सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण किया जाता हो।
2.4 कार्यालय	
2.4.1 राजकीय कार्यालय	वह परिसर, जिसका उपयोग केन्द्रीय/राज्य सरकार के कार्यालयों के लिए किया जाता है।
2.4.2 स्थानीय निकाय कार्यालय	वह परिसर, जिसका उपयोग स्थानीय निकायों के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.3 अर्द्ध–राजकीय कार्यालय	वह परिसर, जिसका उपयोग किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित अभिकरण, निकाय, परिषद आदि के कार्यालयों के लिए किया जाता हो।
2.4.4 निजी कार्यालय	वह परिसर, जिसमें किसी एक या छोटे ग्रुप द्वारा व्यावसायिक कार्यों हेतु कन्सल्टेन्टी/सर्विसिंग प्रदान की जाती हो जैसे चार्ट एकाउन्टेण्ट अधिवक्ता, चिकित्सक, वास्तुविद डिजाईनर, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, टूर एवं ट्रेवेल एजेन्ट इत्यादि।
2.4.5 बैंक	वह परिसर, जिसमें बैंकों के कार्य और प्रचालन को पूरा करने के लिए व्यवस्था हो।
2.4.6 वाणिज्यिक/व्यावसायिक	वह परिसर, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों के लिए उपयोग किया जाता हो।

2.4.7	श्रमिक कल्याण केन्द्र	वह परिसर, जहॉ श्रमिकों के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.8	अनुसंधान एवं विकास केन्द्र / शोध केन्द्र	वह परिसर, जहॉ सामान्य जनता एवं श्रेणी विशेष के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.9	मौसम अनुसन्धान केन्द्र	वह परिसर, जहॉ मौसम और उससे सम्बन्धित ऑकड़ों के अध्ययन / अनुसन्धान और विकास के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.4.10	माईक्रोवेव तथा वायरलैस केन्द्र	वह परिसर, जिसका उपयोग संचार उद्देश्यों के लिए किया जाता हो, जिसमें टावर भी सम्मिलित है।
2.5	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं	
2.5.1	अतिथि गृह / निरीक्षणगृह	वह परिसर, जहॉ सरकारी / अर्द्ध–सरकारी उपक्रम, कम्पनी के स्टाफ तथा अन्य व्यक्तियों को लघु अवधि के लिए ठहराया जाता है।
2.5.2	धर्मशाला	वह परिसर, जिसमें लाभ रहित आधार पर लघु अवधि के अस्थायी आवास की व्यवस्था होती है।
2.5.3	बोर्डिंग / लाजिंग हाऊस	वह परिसर, जिसके कमरे आवासीय सुविधा हेतु दीर्घावधि हेतु किराए पर दिए जाते हैं।
2.5.4	अनाथालय	वह परिसर, जहॉ अनाथ बच्चों के रहने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें शैक्षिक सुविधाओंकी भी व्यवस्था हो सकती है।
2.5.5	रैन–बसेरा	वह परिसर, जिसमें बिना शुल्क या नाम मात्र के शुल्क से रात्रि के समय रहने की व्यवस्था होती है।
2.5.6	सुधारालय	वह परिसर, जहॉ अपराधियों को रखने और उनका सुधार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.7	हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाऊस	वह परिसर, जहॉ अपाहिज तथा मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के सुधार तथा चिकित्सा की सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसका प्रबन्ध व्यावसायिक अथवा गैर–व्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.8	शिशु गृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र (Day Care Centre)	वह परिसर, जहॉ दिन के समय शिशुओं के लिए नर्सरी सुविधाओं की व्यवस्था हो। केन्द्र का प्रबन्ध व्यावसायिक आधार पर किसी एक व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.9	वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र (Old age Home)	वह परिसर, जहॉ पर सामान्यतः वृद्ध अवस्था के व्यक्तियों के लिए लघु अथवा दीर्घकालिक रहने की व्यावसायिक अथवा गैर–व्यावसायिक व्यवस्था हो। इसमें वृद्धों के मनोरंजन, सामान्य स्वास्थ्य, खान–पान इत्यादि की भी व्यवस्था हो सकती है जिसका प्रबन्ध किसी एक व्यक्ति या संस्था द्वारा किया जा सकता है।
2.5.10	उच्च माध्यमिक / इण्टर विद्यालय	वह परिसर, जहॉ दसवीं / बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए एवं खेल–कूद सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.11	महाविद्यालय	वह परिसर, जहॉ किसी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत स्नातक / स्नातकोत्तर पाठ्यकमों के लिए शिक्षण एवं खेल–कूद तथा अन्य सम्बन्धित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.12	पॉलीटेक्निक	वह परिसर, जहॉ तकनीकी क्षेत्र में डिप्लोमा स्तर तक पाठ्यकमों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें तकनीकी स्कूल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शामिल होंगे।
2.5.13	मेडिकल / डेन्टल कालेज	वह परिसर, जहॉ मानव विज्ञान के अन्तर्गत रोगों के उपचार हेतु शिक्षण, डेन्टल, आपरेशन, इत्यादि तथा उपचार एवं शोध कार्य किया जाता हो।
2.5.14	उच्च तकनीकी संस्थान	वह परिसर, जहॉ तकनीकी क्षेत्र में स्नातक या स्नातकोत्तर तक की शिक्षा तथा प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.5.15 कुटीर उद्योग प्रशिक्षण	वह परिसर, जहॉ घरेलू/लघु/सेवा उद्योग जैसे सिलाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर टूर एवं ट्रेवेल्स, इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता हो।
2.5.16 प्रबन्धक संस्थान	वह परिसर, जहॉ प्रबन्धन क्षेत्र में शिक्षण/प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.17 सामान्य शैक्षिक संस्थान	वह परिसर जहॉ गैर–तकनीकी शिक्षा दी जाती हो।
2.5.18 डाकघर	वह परिसर, जहॉ जनता के उपयोगार्थ डाक प्रेषण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.19 डाक एवं तारघर	वह परिसर, जहॉ जनता के उपयोगार्थ डाक एवं दूरसंचार सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.20 टेलीफोन कार्यालय/केन्द्र	वह परिसर, जहॉ सम्बन्धित क्षेत्र के लिए टेलीफोन पद्धति के केन्द्रीय प्रचालन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.21 रेडियो व टेलीविजन केन्द्र	वह परिसर, जहॉ सम्बन्धित माध्यम द्वारा खबरें और अन्य कार्यकम रिकार्ड करने तथा प्रसारित करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.22 कारागार	वह परिसर, जहॉ विधि के अन्तर्गत अपराधियों को नजरबन्द करने, कैद करने और उन्हें सुधारने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.23 पुलिस स्टेशन	वह परिसर, जहॉ स्थानीय पुलिस कार्यालय के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.24 नर्सिंग होम	वह परिसर, जहॉ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा इसका प्रबन्धन व्यावसायिक आधार पर किसी डाक्टर या डाक्टरों के समूह द्वारा किया जाता हो।
2.5.25 अस्पताल	वह परिसर, जहॉ अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सामान्य या विशेषीकृत प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.26 क्लीनिक/पॉलीक्लीनिक	वह परिसर, जहॉ बहिरंग रोगियों के इलाज के लिए सुविधाओं की व्यवस्था किसी डाक्टर/डाक्टरों के समूह द्वारा की जाती हो।
2.5.27 स्वास्थ्य केन्द्र/ परिवार कल्याण केन्द्र/ हेल्थ सेन्टर	वह परिसर जहॉ 30 शैय्याओं तक अन्तरंग और बहिरंग रोगियों की चिकित्सा के लिए सुविधाओं व्यवस्था हो। स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबन्ध गैर–व्यासायिक आधार पर सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा किया जा सकता है। इसमें परिवार कल्याण केन्द्र शामिल है।
2.5.28 डिस्पेन्सरी	वह परिसर, जहॉ चिकित्सा परामर्श की सुविधाएं और दवाईयों की व्यवस्था हो और जिसका प्रबन्ध सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्थाओं द्वारा किया जाता हो।
2.5.29 पैथोलॉजीकल प्रयोगशाला	वह परिसर, जहॉ बीमारी के लक्षणोंका पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की जॉच करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.30 सभा भवन, सामुदायिक भवन	वह परिसर, जहॉ सभा, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए व्यवस्था हो।
2.5.31 योग, मनन, अध्यात्मिक, धार्मिकप्रवचन केन्द्र/ सत्संग भवन	वह परिसर, जहॉ स्वयं सिद्धि, बुद्धि और शरीर के उच्च गुणों की उपलब्धि, अध्यात्मिक और धार्मिक प्रवचन आदि से संबंधित सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.32 धार्मिक भवन	वह परिसर, जहॉ जिसका उपयोग उपासना तथा अन्य धार्मिक कार्यकमों के लिए किया जाता हो।
2.5.33 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान/भवन	वह परिसर, जहॉ मुख्य रूप से गैर–व्यायसायिक आधार पर जनता या स्वैच्छिक रूप से किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सामाजिक–सांस्कृतिक कार्यकमों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.34 सांस्कृतिक केन्द्र	वह परिसर, जहॉ किसी संस्था, राज्य और देश के लिए सांस्कृतिक सेवाओं हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।

2.5.35 बारातघर/बंक्वेट हाल	वह परिसर, जहॉ जिसका उपयोग वैवाहिक कार्यक्रमों तथा अन्य सामाजिक समारोहों के लिए किया जाता है।
2.5.36 ऑडिटोरियम	वह परिसर, जहॉ संगीत सभा, नाटक, संगीत प्रस्तुतीकरण, समारोह आदि जैसे विभिन्न प्रदर्शनों के लिए मंच और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो।
2.5.37 खुली नाट्यशाला	वह परिसर, जहॉ खुले में दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए मंच की सुविधाओं आदि की व्यवस्था हो।
2.5.38 थिएटर/नाट्यशाला	वह परिसर, जहॉ दर्शकों के बैठने और प्रदर्शन के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.39 म्यूजियम/अजायबघर	वह परिसर, जहॉ पुरावशेषों, प्राकृतिक इतिहास, कला आदि के उदाहरण देने के लिए वस्तुओं का संग्रह एवं प्रदर्शन करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.40 आर्ट गैलरी/प्रदर्शनी केन्द्र	वह परिसर, जहॉ चित्रकारी, फोटोग्राफी, मूर्तिकला, भित्ति चित्रों, हस्तकला या किसी विशेष वर्ग के उत्पादों की प्रदर्शनी और सजावट के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.41 संगीत/नृत्य, नाट्य प्रशिक्षण/कला केन्द्र	वह परिसर, जहॉ संगीत नृत्य तथा नाट्य कला का प्रशिक्षण देने और सिखाने की व्यवस्था हो।
2.5.42 पुस्कालय/लाइब्रेरी	वह परिसर, जहॉ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिए पढ़ने और संदर्भ के लिए पुस्तकों के संग्रहण की व्यवस्था हो।
2.5.43 वाचनालय	वह परिसर, जहॉ सामान्य जनता या श्रेणी विशेष के लिएं समाचार पत्र, आदि पढ़ने की व्यवस्था हो।
2.5.44 सूचना केन्द्र	वह परिसर, जहॉ राज्य तथा देश की विभिन्न गतिविधियों की सूचनाओं के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.45 अग्निशमन केन्द्र	वह परिसर, जहॉ उससे सम्बद्ध क्षेत्र के लिए आग बुझाने की सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.46 समाज कल्याण केन्द्र	वह परिसर, जहॉ समाज के कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो तथा यह सार्वजनिक या धर्मार्थ या अन्य संस्था द्वारा चलाया जाता हो।
2.5.47 विद्युत शवदाह गृह	वह परिसर, जहॉ शवों को विद्युत वाहक द्वारा जलाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.48 शमशान	वह परिसर, जहॉ शवों को जलाकर अन्तिम धार्मिक कृत्य को पूरा करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.49 कब्रिस्तान	वह परिसर, जहॉ शवों को दफनाने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.50 मेला स्थल	वह परिसर, जहॉ सहभागियों के समूह के लिए प्रदर्शनी और सजावट तथा अन्य सांस्कृतिक/धार्मिक गतिविधियों हेतु सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.5.51 धोबी घाट	वह परिसर, जिसका उपयोग धोबियों द्वारा कपड़े धोने और सुखाने हेतु किया जाता हो।
2.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं	
2.6.1 डैम्पिंग ग्राउण्ड	वह परिसर, जहॉ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से कूड़ा (सालिड वेस्ट) इकट्ठा करके अन्तिम उपचार होने तक जमा किया जाता हो।
2.6.2 सीवेज ट्रीटमैंट प्लान्ट	वह परिसर, जहॉ ठोस एवं तरल अपशिष्टों को तकनीकी रसायनिक किया द्वारा हानि रहित बनाया जाता हो।
2.6.3 सार्वजनिक उपयोगिताओं एवं सेवाओं से सम्बन्धित	वह परिसर, जहॉ सार्वजनिक उपयोग के लिए जल भण्डारण तथा उसकी आपूर्ति हेतु ओवरहेड/भूमिगत टैंक पम्प–हाउस, आदि सीवरेज

	भवन / प्रतिष्ठान	से सम्बन्धित आक्सीकरण तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पम्पिंग स्टेशन आदि हों। इसमें सार्वजनिक शौचालयं, मूत्रालय व कूड़ादान भी शामिल हैं।
2.6.4	कम्पोस्ट प्लान्ट	वह परिसर, जहाँ नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस कूड़े एवं अपशिष्ट पदार्थों की मैकेनिकल किया द्वारा उपचार के उपरान्त उर्वरक में परिवर्तित किया जाता हो।
2.6.5	विद्युत केन्द्र / सब–स्टेशन	वह परिसर, जहाँ बिजली के वितरण के लिए विद्युत संस्थापन आदि लगे हों।
2.7	यातायात एवं परिवहन	
2.7.1	पार्किंग स्थल	वह परिसर, जिसका उपयोग गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2.7.2	बस स्टैण्ड	वह परिसर, जिसका उपयोग जनसुविधा एवं सेवा के लिए लघु अवधि हेतु बसें खड़ी करने के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी अथवा किसी संस्था द्वारा किया जाता हो।
2.7.3	मोटर गैराज / सर्विस गैराज तथा वर्कशाप	वह परिसर, जिसमें आटोमोबाइल्स की मरम्मत की जाती हो।
2.7.4	टैक्सी / टैम्पो / रिक्शा स्टैण्ड	वह परिसर, वह परिसर जिसका उपयोग व्यावसायिक / गैर व्यावसायिक आधार पर चलने वाली मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन गाड़ियों की पार्किंग के लिए किया जाता हो।
2.7.5	मोटर ड्राईविंग प्रशिक्षण केन्द्र	वह परिसर, वह परिसर जहाँ आटोमोबाइल्स ड्राइविंग के प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.7.6	ट्रान्सपोर्ट नगर	वह परिसर, वह परिसर जिसका उपयोग ट्रकों के लिए लघु अथवा दीर्घावधि हेतु खड़ी करने के लिए किया जाता हो। इसमें ट्रक एजेन्सी के कार्यालय, गाड़ियों की मरम्मत एवं सर्विसिंग, ढाबे, स्पेयर पार्ट शॉप्स तथा गोदाम आदि भी हो सकते हैं।
2.7.7	धर्मकॉटा	वह परिसर, परिसर जहाँ भरे हुए अथवा खाली ट्रकों का वजन मापा जाता हो।
2.7.8	बस डिपो	वह परिसर, जिसका उपयोग बसों की पार्किंग रख–रखाव और मरम्मत के लिए सार्वजनिक परिवहन एजेन्सी या इसी प्रकार किसी अन्य एजेन्सी द्वारा किया जाता हो। इसमें वर्कशाप भी हो सकता है।
2.8	पार्क, खुले स्थल, हरित पट्टी एवं क्रीड़ा–स्थल	
2.8.1	पार्क	वह परिसर, जिसमें मनोरंजनात्मक गतिविधियों के लिए लान, खुला स्थल, हरियाली आदि समानार्थी व्यवस्थाएं हों। इसमें भू–दृश्य, पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, फेन्सिंग आदि सम्बन्धित आवश्यकताओं की व्यवस्था हो सकती है।
2.8.2	क्लब	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित वह परिसर, जिसका उपयोग सामाजिक और मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के लिए लोगों के समूह द्वारा किया जाता हो।
2.8.3	क्रीड़ा–स्थल / खेल का मैदान	आउटडोर खेलों के लिए उपयोग किया जाने वाला परिसर जिसमें पार्किंग सुविधा, सार्वजनिक शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
2.8.4	मनोरंजन पार्क (Amusement Park)	वह परिसर, जहाँ मनोरंजनात्मक उद्देश्यों के पार्क, तथा मनोरंजन से सम्बन्धित अन्य सुविधाओं के लिए पार्क या मैदान हों।
2.8.5	स्टेडियम	वह परिसर, जिसमें खिलाड़ियों के लिए सम्बन्धित सुविधाओं सहित दर्शकों के बैठने के स्थान के लिए मण्डप भवन और स्टेडियम की व्यवस्था हो।
2.8.6	ट्रैफिक पार्क	पार्क के रूप में वह परिसर जहाँ यातायात और संकेतन के संबंध में

	बच्चों को जानकारी और शिक्षा देने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.8.7 स्वीमिंग पूल (तरण–ताल)	वह परिसर, जिसमें तैरने, दर्शकों के बैठने तथा अनुषांगिक सुविधाओं जैसे–ड्रेसिंग–रूम, शौचालय, आदि की व्यवस्था हो।
2.8.8 पिकनिंग स्थल / शिविर स्थल	पर्यटक और/या मनोरंजनात्मक केन्द्र के अन्दर स्थित परिसर जिसका उपयोग मनोरंजनात्मक या अवकाश उद्देश्य के लिए थोड़ी अवधि तक ठहरने के लिये किया जाता हो।
2.8.9 फ्लाइंग क्लब	वह परिसर, जिसका उपयोग ग्लाइडरों और अन्य छोटे वायुसेना पर प्रशिक्षण प्राप्त करने और फन–राइडिंग के लिए किया जाता हो।
2.8.10 शूटिंग रेन्ज	वह परिसर, जो विभिन्न प्रकार की पिस्टल्स/बन्दूकों को चलाने, निशाना साधने, इत्यादि के प्रशिक्षण/प्रेक्टिस के प्रयोग में लाया जाता हो।
2.9 कृषि	
2.9.1 नर्सरी/पौधशाला	वह परिसर, जहॉ छोटे पौधों को उगाने और बिकी के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो।
2.9.2 दुग्धशाला/डेयरी फार्म	वह परिसर, जहॉ डेयरी–उत्पाद बनाने और तैयार करने के लिए सुविधाओं की व्यवस्था हो। इसमें पशुओं के शैडो के लिए अस्थायी ढॉचा हो सकता है।
2.9.3 कुक्कुटशाला(पोल्ट्री फार्म)	वह परिसर, जहॉ मुर्गी, बत्तख आदि पक्षियों के अण्डे, मांस आदि उत्पादों के व्यवसाय के लिए सुविधा की व्यवस्था हो। इसमें पक्षियों के शैड हो सकते हैं।
2.9.4 फार्म हाउस	वह परिसर, जहॉ फार्म के स्वामी के उपयोग हेतु उसी कृषि भूमि पर आवासीय भवन हो।
2.9.5 उद्यान	वह परिसर, जिसे फूलों/फलों के प्रयोजनार्थ पेड़–पौधे लगाने हेतु उपयोग किया जाता हो।
2.9.6 दुग्ध संग्रह केन्द्र	वह परिसर, जहॉ सम्बद्ध क्षेत्र से किसी डेयरी हेतु दूध का संग्रहण किया जाता हो।
2.9.7 कृषि उपकरणों की मरम्मत एवं सर्विसिंग	वह परिसर, जहॉ कृषि में प्रयोग होने वाले मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल उपकरण जैसे ट्रैक्टर ट्राली, हारवेस्टर इत्यादि की सर्विसिंग की जाती हो।
2.10 अन्य परिसर	
2.10.1 वन	वह परिसर, जिसमें प्राकृतिक अथवा मनुष्य द्वारा लगाए गए पेड़–पौधे हों। इसमें नगर वन भी शामिल होंगे।
2.10.2 स्मारक	दर्शकों के लिएं सभी सुविधाओं सहित वह परिसर जहॉ भूतकाल से सम्बन्धित संरचनाएं या किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की याद में मकबरा, समाधि या स्मारक बना हुआ हो।
2.10.3 चिड़ियाघर/ जल–जीवशाला	वह परिसर, जिसका उपयोग सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित प्रदर्शनी तथा अध्ययन के लिए जानवरों, जीव–जन्तुओं और पक्षियों के समूह सहित उद्यान/पार्क/जल–जीवशाला के रूप में किया जाता हो।
2.10.4 पक्षी शरण स्थल	सभी सम्बन्धित सुविधाओं सहित पक्षियों के परिरक्षण और पालन–पोषण के लिए विस्तृत पार्क या वन के रूप में परिसर।

2.11 हेरिटेज जोन/विशिष्ट क्षेत्र

महायोजना/जोनल प्लान के अन्तर्गत वह परिसर जो ऐतिहासिक, वास्तुकलात्मक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक महत्व, प्राकृतिक सौन्दर्य (Scennic Beauty) अथवा नगर विशेष की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत विशिष्ट प्रयोजन हेतु पृथक भू–उपयोग जोन के रूप में निर्धारित हो।

2.12 फ्लोटिंग उपयोग

वह उपयोग जिसके लिए महायोजना/जोनल प्लान/सेक्टर प्लान/ले-आउट प्लान में अलग से क्षेत्र आरक्षित नहीं है, परन्तु जो विकासकर्ता/निर्माणकर्ता द्वारा अनुज्ञा हेतु आवेदन किए जाने पर निर्धारित होगा।

3. प्रमुख भू–उपयोग जोन्सा में सशर्त अनुमन्य/उपयोगों हेतु अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 के अन्तर्गत प्रमुख–उपयोग जोन्स में विभिन्न क्रियाओं की अनुमन्यता से सम्बन्धित ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) में सशर्त अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों हेतु कोड संख्या अंकित की गई है। विभिन्न भू–उपयोगों जोन्स में अनुमन्य क्रियाओं/उपयोगों की अनुज्ञा हेतु कोड संख्या के अनुसार निर्धारित अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्न प्रकार हैः–

कोड सं0	अनुमन्यता की अनिवार्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध
1	भूतल पर चौकीदार/संतरी आवास
2	भूतल छोड़कर ऊपरी तलों पर आवास
3	योजना के कुल क्षेत्रफल के 5 प्रतिशत
4	योजना के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 0.4 हेक्टेयर अथवा कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो
5	केवल सम्बन्धित कर्मचारियों हेतु, भूतल को छोड़कर अनुवर्ती तलों पर कुल तल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत अथवा भू–विन्यास मानचित्र का 10 प्रतिशत, दोनों में जो भी कम हो।
6	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर
7	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर
8	न्यूनतम 24 मीटर चौड़े मार्ग पर
9	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 20 शैय्याओं तक
10	न्यूनतम 18 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 50 शैय्याओं तक
11	केवल महायोजना में चिन्हित थोक वाणिज्यिक केन्द्र/स्थलों के अन्तर्गत
12	केवल दुर्बल/अल्प आय वर्ग की योजनाओं में (अनुलग्नक–2 के अनुसार)
13	ज्वलनशील नाशवान एवं आपात वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं का भण्डारण
14	केवल शहर की विकसित आबादी के बाहर
15	5 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–2 के अनुसार)
16	राईट –आफ–वे के बाहर
17	न्यूनतम 12 मीटर चौड़े मार्ग पर अधिकतम 5 हार्स पावर तक
18	ग्रामीण आबादी के अन्तर्गत
19	अनुमन्य एफ.ए.आर. का 25 प्रतिशत अथवा 100 वर्ग मीटर दोनों में जो भी कम हो
20	केवल अनुषांगिक उपयोग हेतु
21	केवल खुले रूप में एवं अस्थायी
22	केवल संक्रामक रोगों से सम्बन्धित
23	न्यूनतम 30 मीटर चौड़े मार्ग पर
24	10 हार्स पावर तक (अनुलग्नक–3 के अनुसार)

• निर्मित क्षेत्रों में व्यावसायिक क्रियाओं/उपयोगों की अनुमति आस–पास के विद्यमान प्रधान भू–उपयोग के दृष्टिगत प्रदान की जायेगी।

4. विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं (Activities) हेतु अपेक्षाएँ

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं (Activities)/उपयोगों की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्न परिस्थितियों तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दी जाएगी:–

(1) **विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र** के अन्तर्गत किसी भी प्रमुख भू–उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य कियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में निम्न समिति द्वारा परीक्षण किया जाएगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जाएगी:–

- विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी
- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि
- अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य।

विशेष अनुमति से अनुमन्य कियाओं हेतु प्रत्येक प्रकरण में गुण–अवगुण के आधार पर उपरोक्त समिति द्वारा निम्न व्यवस्थाएं की जाएंगी :–

(i) प्रमुख भू–उपयोग जोन की आधारभूत अवस्थापनाओं यथा जलापूर्ति ड्रेनेज,सीवरेज़, विद्युत–आपूर्ति, खुले स्थल तथा यातायात, पार्किंग इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(ii) प्रस्तावित अन्य किया के कारण अगल–बगल के भूखण्डों/भवनों के निजी परिसरों में प्रकाश एवं संवातन तथा प्राइवेसी भंग न हो।

(iii) प्रस्तावित किया के कारण प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी प्रकार की ध्वनि/धुँवा/दुर्गन्ध इत्यादि के प्रदूषण की सम्भावना न हो।

(iv) प्रस्तावित किया यथासम्भव मुख्य भू–उपयोग के बाहरी क्षेत्र/किनारों पर मुख्य मार्ग पर अथवा पृथकीकृत रूप में स्थित हो।

(v) प्रस्तावित किया की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाएगी कि भवन की अधिकतम एफ.ए.आर. एवं ऊँचाई प्रमुख भू–उपयोग के प्राविधानों के अन्तर्गत है।

(2) किसी भी प्रमुख जोन में विशेष अनुमति से अन्य किया अनुमन्य किये जाने की दशा में पार्किंग सेट बैक इत्यादि में दर्शायी गई भूमि भविष्य में मार्ग विस्तार/सार्वजनिक पार्किंग, इत्यादि हेतु आवश्यकता पड़ने पर प्राधिकरण को निःशुल्क हस्तान्तरित करनी होगी।

(3) महायोजना में अथवा प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हैरिटेज जोन में खान–पान से सम्बन्धित दुकानें, रेस्टोरेन्ट, फोटोग्राफर रेल/वायु/टैक्सी इत्यादि के बुकिंग ऑफिस गाईड अस्थायी मेला/प्रदर्शनी स्थल, इत्यादि की अनुमति सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी भवन उपविधियों के अधीन प्रदान की जायेगी।

(4) जोनिंग रेगुलेशन्स में दर्शायी गई कियाओं के अतिरिक्त प्रमुख भू–उपयोग के अनुषांगिक (Compatible) अन्य कियाएं जिनका उल्लेख नहीं है, भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से गुण–अवगुण के आधार पर अनुमन्य की जा सकेगी।

टिप्पणी

(i) जोनिंग रेगुलेशन्स में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमन्य किए जाने की दशा में समस्त कियाओं/उपयोगों के मानचित्र , प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार ही स्वीकृत किये जायेंगे। जिन क़ियाओं/उपयोगों हेतु भवन उपविधि में भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., सेट बैक, पार्किंग आदि के बारे में प्राविधान नहीं है, के सम्बन्ध में किया विशेष की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त समिति द्वारा प्राधिकरण बोर्ड को संस्तुति प्रस्तुत की जाएगीं।

(ii) विशेष अनुमति से किसी उपयोग/किया की अनुमन्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी बाध्य नहीं होगें तथा आवेदक अधिकार के रूप में इसकी मांग नहीं कर सकेगा।

अनुलग्नक–1

दैनिक उपयोग की दुकानों की सूची

1. जनरल प्राविजनल स्टोर
2. दैनिक उपयोग की वस्तुएं यथा दूध, ब्रेड, मक्खन, अण्डा आदि
3. सब्जी एवं फल
4. फलों के जूस
5. मिठाई एवं पेय पदार्थ
6. पान, बीड़ी, सिगरेट
7. मेडिकल स्टोर/क्लीनिक
8. स्टेशनरी
9. टाइपिंग, फोटो स्टेट, फैक्स आदि
10. किताबें/मैंगजीन/अखबार इत्यादि
11. खेल का सामान
12. टेलीफोन बूथ, पी सी ओ
13. रेडीमेड गारमेन्ट
14. ब्यूटी पार्लर
15. सौन्दर्य प्रसाधन
16. हेयर ड्रेसिंग
17. टेलरिंग
18. घड़ी मरम्मत
19. कढ़ाई–बुनाई एवं पेन्टिग
20. केबल टी.वी. संचालन, वीडियो पार्लर
21. प्लम्बर शाप
22. विद्युत उपकरण
23. हार्डवेयर
24. टायर पंचर की दुकानें
25. समरूप दैनिक उपयोगिताओं की अन्य दुकानें

अनुलग्नक–2

आवासीय क्षेत्र में अनुमन्य सेवा उद्योगों की सूची

1. लाण्ड्री ड्राई–क्लीनिक
2. टी.वी., रेडियो, आदि की सर्विसिंग तथा मरम्मत
3. दुग्ध उत्पाद, घी, मक्खन बनाना
4. मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर, साइकिल आदि की सर्विसिंग एवं मरम्मत
5. प्रिन्टिग प्रेस तथा बुक बाइण्डिंग
6. सोना तथा चॉदी का कार्य
7. कढ़ाई एवं बुनाई
8. जूते फीता तैयार करना
9. टेलरिंग व बुटीक
10. बढ़ई कार्य, लोहार कार्य
11. घड़ी,पेन,चश्मे की मरम्मत
12. साइन बोर्ड बनाना(लोहे के बोर्ड को छोड़कर)
13. फोटो फ्रेमिंग
14. जूता मरम्मत
15. विद्युत उपकरणों की मरम्मत
16. बेकरी, कन्फेक्शनरी
17. आटा चक्की(10 अश्व शक्ति तक)
18. फर्नीचर
19. समरूप सेवा उद्योग

अनुलग्नक–3

व्यावसायिक क्षेत्र में अनुमन्य प्रदूषणमुक्त लघु उद्योगों की सूची (10 हार्स पावर तक)

1. आटा चक्की
2. मूँगफली सुखाना
3. चिलिंग
4. सिलाई
5. सूती एवं ऊनी बुने वस्त्र
6. सिले वस्त्रों का उद्योग
7. हथकरघा
8. जूते का फीता तैयार करना
9. सोना तथा चॉदी/तार एवं जरी का काम
10. चमड़े के जूते तथा अन्य चर्म उत्पाद जिसमें चर्मशोधन सम्मिलित न हो
11. शीशे की शीट से दर्पण तथा फोटो तैयार करना
12. संगीत वाद्य यन्त्र तैयार करना
13. खेलों का सामान
14. बांस एवं बेंत उत्पाद
15. कार्ड बोर्ड एवं कागज उत्पाद
16. इन्सुलेशन एवं अन्य कोटेड पेपर
17. विज्ञान एवं गणित से सम्बन्धित यंत्र
18. स्टील एवं लकड़ी के साज–सज्जा सामान
19. घरेलू विद्युत उपकरणों को तैयार करना
20. रेडियो टी0वी0 बनाना
21. पेन ,घड़ी, चश्में की मरम्मत
22. सर्जिकल पटि्टयोंएवं प्यूजेज
23. सूत कताई व बुनाई
24. रस्सियॉ बनाना
25. दरियॉं बनाना
26. कूलर तैयार करना
27. साइकिल एवं अन्य बिना इंजन चालित वाहनों की एसेम्बलिंग
28. वाहनों की सर्विसिंग
29. इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण तैयार करना
30. खिलौने बनाना
31. मोमबत्ती बनाना
32. आरा मशीन के अतिरिक्त बढ़ई का कार्य
33. तेल निकालने का कार्य(शोधन को छोड़कर)
34. आइसक्रीम बनाना
35. मिनरलाइज्ड वाटर
36. जाबिंग एवं मशीनिंग
37. लोहे के सन्दूक तथा सेटकेस
38. पेपर पिन तथा यू–क्लिप
39. छपाई हेतु ब्लॉक तैयार करना
40. चश्में के फ्रेम
41. समरूप प्रदूषणरहित उद्योग

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता ज्ञात करने हेतु ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के उपयोग की विधि

महायोजना में प्रस्तावित प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं (Activities)/उपयोगों की अनुमन्यता जोनिंग रगुलेशन्स के माध्यम से निर्धारित की जाती है। यदि आवेदक द्वारा किसी भू–उपयोग जोन के अन्तर्गत किया विशेष की निर्माण अनुज्ञा से सम्बन्धित मानचित्र विकास प्राधिकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो जोनिंग रेगुलेशन्स के आधार पर ही यह तय किया जा सकेगा कि प्रश्नगत निर्माण उस भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथव नहीं। महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग, जोन्स में विभिन्न कियाओं/उपयोगों की अनुमन्यता से सम्बन्धित विवरण जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में मैट्रिक्स (Matrix) के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें क्षैतिज रेखा (X Axis) पर कालम–2 से 14 में महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स दर्शाए गए हैं जबकि इन जोन्स के अन्तर्गत अनुमन्य कियाएं/उपयोग ऊर्ध्वाधर रेखा (Y Axis) पर दर्शाए गए हैं। किसी प्रमुख भू–उपयोग जोन में किसी किया/उपयोग की अनुमन्यता ज्ञात करने के लिए क्षैतिज रेखा (X Axis) पर दर्शायी गई उस किया के सम्मुख ऊर्ध्वाधर रेखा (Y Axis) पर दर्शाए गए भू–उपयोग जोन्स के कालम में दिए गए संकेत के आधार पर अनुमन्यता ज्ञात की जा सकती है। ग्राफिक प्रस्तुतीकण (Matrix) में निम्न प्रकार संकेतों का प्रयोग किया गया है:–

(i)	√	**अनुमन्य उपयोगः** जो सामान्यतः अनुमन्य हैं।
(ii)	6	**सशर्त अनुमन्य उपयोगः** जो जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–3 में कोड संख्या–1 से 25 तक निर्दिष्ट शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ अनुमन्य हैं।
(iii)	Δ	**विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग** : जो
(iv)	X	**निषिद्ध उपयोग** : जो अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्त चारों संकेतों के आधार पर महायोजना के प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं/उपयोगों के अनुमन्यता से सम्बन्धित उदाहरण निम्न प्रकार हैं :–

उदाहरण–1: **कोई व्यक्ति यह ज्ञात करना चाहता है कि "नर्सिंग होम" व्यावसायिक भू–उपयोग जोन में अनुमन्य है अथवा नहीं?**

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकण (Matrix) के अन्तर्गत X Axis कियाएं के नीचे कमांक 5.19 पर नर्सिंग होम.के सम्मुख X– Axis पर व्यावसायिक भू–उपयोग जोन के कालम में संकेत {√} (अनुमन्य) दिया गया है, जिसका अर्थ व्यावसायिक भू–उपयोग जोन में नर्सिंग होम अनुमन्य है।

उदाहरण–2: **निर्मित क्षेत्र में "शोरूम" अनुमन्य है अथवा नहीं?**

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गत X– Axis पर कियाएं के नीचे कमांक 2.2 पर शोरूम के सम्मुख X– Axis पर "निर्मित क्षेत्र" के कालम में संकेत {6} (सशर्त अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात जोनिंग रेगुलेशन्स' के भाग–3 में निर्दिष्ट कोड संख्या–6 के अनुसार निर्मित क्षेत्र में शोरूम न्यूनतम 12 मीटर चौडे मार्ग पर अनुमन्य है।

उदाहरण–3: **कृषि भू–उपयोग जोन में रिजॉर्ट अनुमन्य है अथवा नहीं ?**

जानिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकरण (Matrix) के अन्तर्गल X– Axis पर कियाएं नीचे कमांक–2.10 पर रिजॉर्ट के सम्मुख X– Axis पर "कृषि" के कालम में संकेत {Δ} (विशेष अनुमति से अनुमन्य) दिया गया है, अर्थात् कृषि भू–उपयोग जोन में रिजॉर्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष अनुमति से अनुमन्य है।

उदाहरण–4: **ग्रीनबेल्ट जोन में "बारातघर" अनुमन्य है अथवा नहीं ?**

जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–5 में ग्राफिक प्रस्तुतीकण (Matrix) के अन्तर्गत X Axis कियाएं के नीचे कमांक 5.29 पर बारातघर के सम्मुख X– Axis पर "ग्रीन बेल्ट" के कालम में संकेत { X} (निषिद्ध) दिया गया है, अर्थात ग्रीन बेल्ट में बारातघर अनुमन्य नहीं है।

टिप्पणी

1. विभिन्न कियाओं/उपयोग परिसरों की परिभाषाएं जोनिंग रेगुलेशन्स के भाग–2 में दी गई हैं

आजमगढ़ महायोजना 2011 हेतु जोनिंग रेगुलेशन्स

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं (Activities) की अनुमन्यता

संकेताक्षर			संकेत	
आ. : आवासीय	सी.फ. : सीवेज फार्म	पार्क : पार्क एवं कीडा स्थल	अनुमन्य उपयोग	√
व्यव. : कृषि मण्डी एवं केन्द्रीय क्रियाएं (सेक्टर 3, 5, 9, 20)	के. क्रि. : जिला कारागार एवं केन्द्रीय क्रियाएं (सेक्टर 2, 27, 34)	वनी. : वनीकरण	सशर्त अनुमन्य उपयोग	6
उ. : उद्योग	या.परि. : बस अड्डा एवं यातायात नगर	ग्रा. आब. : ग्रामीण आबादी	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग	Δ
		कृषि : कृषि हरित पट्टी	निषिद्ध उपयोग	X

कियाएं (Activities)/उपयोग	निर्मित क्षेत्र	भू–उपयोग जोन्स विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यव.	उ.	सी.फ.	के.क्रि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आवासीय											
1.1 सकल आवास	√	√	X	3	X	X	X	X	X	√	X
1.2 समूह आवास(ग्रुप हाऊसिंग)	6	√	2	3	X	X	X	X	X	6	X
1.3 सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/ संतरी आवास	√	√	1	4	X	4	1	Δ	Δ	√	20
2. व्यावसायिक											
2.1 फुटकर दुकानें (अनुलग्नक–1 के अनुसार)	√	6	√	√	X	√	√	X	X	√	X
2.2 शोरूम	6	X	√	√	X	X	X	X	X	X	X
2.3 साप्ताहिक बाजार	Δ	7	√	√	X	X	X	X	Δ	6	√
2.4 थोक मण्डी/थोक व्यापार	X	X	11	Δ	X	X	X	X	X	X	Δ
2.5 नीलामी बाजार	X	X	7	√	X	Δ	Δ	X	X	X	Δ
2.6 बेकरी एवं कन्फेक्शनरी आटा चक्की (10 हार्स पावर तक)	√	6	√	√	X	X	X	X	X	√	X
2.7 कोयला तथा लकड़ी के टाल	6	7	7	7	Δ	X	Δ	X	X	6	Δ
2.8 कृषि उपजों के विक्रय केन्द्र	X	X	11	√	X	X	Δ	X	X	Δ	√
2.9 शीतगृह	X	X	11	√	X	X	Δ	X	X	X	Δ
2.10 रिसॉर्ट	X	X	√	X	X	X	X	X	X	X	Δ
2.11 होटल	7	7	√	√	X	√	Δ	X	X	Δ	X
2.12 मोटल, वे साइड रेस्तरां(ढाबा)	X	X	√	8	X	X	8	X	X	Δ	Δ
2.13 भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन	√	6	√	√	X	√	√	Δ	X	Δ	Δ
2.14 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	Δ	8	√	√	X	√	X	X	X	X	X
2.15 अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रर्दशनी, मेला स्थल	7	8	8	8	X	8	Δ	Δ	√	Δ	√
2.16 पी.सी.ओ./सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	√	√	√	√	X	√	√	X	X	√	Δ
2.17 पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन	7	8	√	7	X	7	√	X	Δ	7	23
2.18 गैस गोदाम/गैस अधिष्ठान	X	X	Δ	√	X	X	Δ	X	X	X	Δ
2.19 भंडारणगोदाम, वेयरहाउस, संग्रहण केन्द्र, जंकयार्डकबाड़खाना	X	X	13	13	Δ	X	13	X	Δ	X	Δ

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	निर्मित क्षेत्र	भू-उपयोग जोन्स									
		विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यव.	उ.	सी.फ.	के.कि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. औद्योगिक											
3.1 सेवा/कुटीर उद्योग	15	12	Δ	√	X	X	X	X	X	√	X
3.2 सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	17	17	17	√	X	X	X	X	X	X	X
3.3 लघु उद्योग	X	X	24	√	X	X	X	X	X	Δ	X
3.4 वृहद् उद्योग, शुगर मिल, राइस सेलर, फ्लोर मिल	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Δ
3.5 संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक उद्योग	X	X	X	Δ	Δ	X	X	X	X	X	Δ
3.6 खनन, ईंट/चूने का भट्ठा, केशर	X	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	Δ
3.7 तेल डिपो/एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट	X	X	X	X	X	X	Δ	X	X	X	Δ
3.8 पाश्चराइजिंग प्लान्ट दुग्ध संग्रहण केन्द्र	X	X	X	√	X	Δ	Δ	X	X	X	Δ
3.9 विद्युत उत्पादन संयन्त्र/केन्द्र	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	X	Δ
4. कार्यालय											
4.1 राजकीय, अर्द्ध-राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय	6	7.	√	20	X	20	20	X	X	Δ	X
4.2 निजी कार्यालय, एजेण्ट कार्यालय, इत्यादि	√	19	√	√	X	20	20	X	X	√	X
4.3 बैंक	6	Δ	√	√	X	√	√	X	X	Δ	X
4.4 वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय	6	X	√	√	X	X	Δ	X	X	X	X
4.5 श्रमिक कल्याण केन्द्र	X	X	Δ	√	X	√	Δ	X	X	X	X
4.6 पी.ए.सी./पुलिस लाइन्स	X	X	Δ	Δ	X	Δ	Δ	X	X	X	Δ
4.7 मौसम अनुसंधान केन्द्र/वायरलेस केन्द्र/वेधशाला	X	X	Δ	Δ	X	Δ	Δ	X	X	X	√
5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाएं											
5.1 अतिथि गृह, निरीक्षण गृह	Δ	Δ	√	√	X	√	Δ	X	Δ	6	Δ
5.2 धर्मशाला, रैन-बसेरा, लाजिंग/बोर्डिंग हाउस	6	6	√	√	X	√	Δ	X	X	6	X
5.3 छात्रावास	6	6	√	X	X	√	X	X	X	6	X
5.4 अनाथालय, सुधारालय	Δ	Δ	Δ	X	X	√	X	X	X	√	Δ
5.5 कारागार	X	X	X	X	X	Δ	X	X	X	X	Δ
5.6 हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	6	6	X	X	X	√	X	X	X	6	Δ
5.7 शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र	√	√	√	Δ	X	√	X	X	X	√	X
5.8 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र	X	√	X	Δ	X	√	X	X	X	√	Δ
5.9 प्राथमिकता शैक्षिक संस्थान	6	6	Δ	X	X	√	X	X	X	√	X
5.10 उच्च माध्यमिक इण्टर/महा विद्यालय	6	7	X	X	X	√	X	X	X	7	Δ
5.11 विश्वविद्यालय	X	X	Δ	X	X	√	X	X	X	X	Δ
5.12 पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल/डेन्टल कालेज	X	X	X	Δ	X	√	X	X	X	X	Δ
5.13 प्रबन्धक संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान	Δ	X	√	Δ	X	√	X	X	X	Δ	X

क्रियाएं (Activities) / उपयोग	भू-उपयोग जोन्स										
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील / अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्याव.	प.	सी.फ.	के.कि.	या.परि.	पार्क	व.नी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14 डाकघर, तारघर	√	6	√	√	X	√	√	X	X	√	Δ
5.15 पुलिस स्टेशन / चौकी, अग्निशमन केन्द्र	√	7	√	√	X	√	√	X	X	Δ	Δ
5.16 पुस्तकालय / वाचनालय	√	6	√	X	X	√	X	X	X	√	X
5.17 स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी	9	√	√	√	X	√	√	X	X	√	X
5.18 अस्पताल	10	X	√	10	X	√	X	X	X	10	22
5.19 नर्सिंग होम	9	9	√	10	X	√	X	X	X	9	X
5.20 नैदानिक प्रयोगशाला	√	X	√	√	X	√	X	X	X	X	22
5.21 हेल्थ क्लब / जिमनेजियम	√	√	√	Δ	X	√	X	X	X	√	X
5.22 विद्युत शवदाह गृह, श्मशान, कब्रिस्तान	X	X	X	X	Δ	14	X	X	X	X	Δ
5.23 संगीत / नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	6	6	√	X	X	√	X	X	X	6	X
5.24 सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, इत्यादि	√	19	√	√	X	√	X	X	X	√	X
5.25 आडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर	X	7	√	8	X	√	X	21	X	X	21
5.26 योग, मनन, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन	6	7	X	X	X	√	X	21	21	√	21
5.27 धार्मिक भवन	6	√	√	Δ	X	√	Δ	X	X	6	X
5.28 सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	6	7	6	Δ	X	√	7	X	X	6	X
5.29 बारात घर, बैंक्वेट हाल	Δ	Δ	7	Δ	X	√	X	X	X	Δ	X
5.30 कान्फ्रेन्स / मीटिंग हाल	6	Δ	√	√	X	√	Δ	X	X	Δ	X
5.31 अजायबघर	X	X	√	X	X	√	X	X	X	X	Δ
5.32 आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	21	7	√	21	X	√	21	21	21	X	21
5.33 टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय / केन्द्र	Δ	X	√	X	X	√	X	X	X	X	Δ
5.34 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र	X	Δ	√	20	X	√	X	X	X	X	Δ
5.35 समाज कल्याण केन्द्र	Δ	X	√	Δ	X	√	X	X	X	Δ	X
6. सार्वजनिक उपयोगिताएं											
6.1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड इत्यादि	X	X	X	14	√	14	X	X	√	Δ	√
6.2 ट्यूब-वेल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र / सब-स्टेशन	√	√	√	√	√	√	√	Δ	√	√	√
6.3 वाटर वर्क्स	X	X	Δ	Δ	√	√	X	X	Δ	Δ	√
6.4 माइक्रोवेव केन्द्र	X	X	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	√
6.5 कम्पोस्ट प्लान्ट	X	X	X	X	√	X	X	X	Δ	X	√
6.6 पशुवधशाला	X	X	X	X	√	14	X	X	14	X	14
6.7 सेल्लुलर / मोबाइलटावर	√	√	√	√	Δ	√	√	Δ	Δ	√	√

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	निर्मित क्षेत्र	भू–उपयोग जोन्स — विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यव.	उ.	सी.फ.	के.क्रि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.यातायात एवं परिवहन											
7.1 पार्किंग स्थल	√	√	√	√	Δ	√	16	21	√	√	Δ
7.2 टैक्सी, टेम्पो, रिक्शा आदि के स्टैण्ड/बस स्टाप	√	√	√	√	Δ	√	16	X	√	√	Δ
7.3 ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो	X	X	X	Δ	X	X	√	X	X	X	Δ
7.4 बस स्टैण्ड	7	7	7	7	X	7	16	X	√	7	Δ
7.5 बस टरमिनल	X	X	23	X	X	Δ	√	X	X	X	Δ
7.6 मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप	7	X	√	√	X	X	√	X	X	6	Δ
7.7 मोटरचालन प्रशिक्षण केन्द्र	X	X	√	Δ	X	X	√	X	√	X	Δ
7.8 लोडिंग–अनलोडिंग प्लेटफार्म	7	X	√	√	X	X	√	Δ	21	6	Δ
7.9 रेलवे गोदाम, रेलवे वार्ड/साइडिंग/टरमिनल	X	X	Δ	Δ	X	X	√	X	X	X	Δ
7.10 धर्मकॉटा	7	X	11	7	X	X	√	X	√	6	Δ
7.11 एअरपोर्ट	X	X	X	X	X	X	√	X	X	X	Δ
8. पार्क, कीड़ा/खुले स्थल											
8.1 पार्क, कीड़ा/खेल का मैदान	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
8.2 बहुउद्देशीय खुले स्थल	7	7	Δ	Δ	Δ	√	X	√	Δ	7	Δ
8.3 गोल्फ/रेसकोर्स	X	X	X	X	X	Δ	X	Δ	X	X	Δ
8.4 स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र	Δ	X	√	X	X	√	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
8.5 कारवाँ पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल	X	X	X	X	X	X	X	21	√	X	21
8.6 ट्रैफिक पार्क	X	X	X	X	X	Δ	√	Δ	√	X	Δ
8.7 मनोरंजन पार्क	6	Δ	Δ	Δ	X	√	Δ	21	Δ	6	Δ
8.8 क्लब, स्वीमिंग पुल	6	6	√	√	X	√	Δ	Δ	Δ	6	Δ
8.9 चिड़ियाघर, जल जीवशाला,वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल	X	X	X	X	X	X	X	X	√	Δ	Δ
8.10 फलाइंग क्लब/हैलीपैड	X	X	X	Δ	X	21	√	Δ	Δ	Δ	Δ
8.11 शूटिंग रेन्ज	X	X	X	X	Δ	X	X	X	Δ	X	Δ

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	निर्मित क्षेत्र	भू उपयोग जोन — विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यव.	उ.	सी.फ.	के.क्रि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. कृषि											
9.1 बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन, बॉटेनीकल गार्डन	√	√	√	√	Δ	√	Δ	√	√	√	√
9.2 फॉर्म हाउस	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Δ	Δ
9.3 चारागाह, दुग्धशाला(डेयरी फार्म)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Δ	√
9.4 धोबीघाट	Δ	X	X	Δ	Δ	Δ	Δ	X	√	Δ	√
9.5 सुअर, मत्स्य, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन, पशु संबर्धन/प्रजनन केन्द्र	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	Δ	√
9.6 कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशाप	X	X	√	√	X	X	Δ	X	X	Δ	√
10. फ्लोटिंग उपयोग											
10.1 सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	√	Δ	X	Δ	Δ	Δ
10.2 थोक व्यावसायिक	X	X	11	Δ	X	X	Δ	X	X	X	Δ
10.3 यातायात एवं परिवहन	Δ	X	Δ	Δ	X	Δ	√	X	Δ	Δ	X
10.4 सेवा/कुटीर उद्योग	Δ	12	Δ	√	X	X	X	X	X	Δ	X
10.5 विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक)	X	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	Δ

टिप्पणी : 1. इस मेट्रिक्स की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक–4 का संदर्भ लें।
2. सशर्त अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग–3 का संदर्भ लें।

आजमगढ़ महायोजना 2011 हेतु जोनिगं रेगुलेशन्स

प्रमुख भू–उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं (Activities) की अनुमन्यता

संकेताक्षर			संकेत	
आ. : आवासीय	सी.फ. : सीवेज फार्म	पार्क : पार्क एवं कीडा स्थल	अनुमन्य उपयोग	√
व्यय. : कृषि मण्डी एवं केन्द्रीय क्रियाएं (सेक्टर 3, 5, 9, 20)	के. क्रि. : जिला कारागार एवं केन्द्रीय क्रियाएं (सेक्टर 2, 27, 34)	वनी. : वनीकरण	सशर्त अनुमन्य उपयोग	6
उ. : उद्योग	या.परि. : बस अड्डा एवं यातायात नगर	ग्रा. आब. : ग्रामीण आबादी	विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग	Δ
		कृषि : कृषि हरित पट्टी	निषिद्ध उपयोग	X

कियाएं (Activities)/उपयोग	निर्मित क्षेत्र	आ.	व्यय.	उ.	सी.फ.	के.क्रि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. आवासीय											
1.1 सकल आवास	√	√	X	3	X	X	X	X	X	√	X
1.2 समूह आवास(ग्रुप हाऊसिंग)	6	√	2	3	X	X	X	X	X	6	X
1.3 सम्बन्धित कर्मचारी/चौकीदार/ संतरी आवास	√	√	1	4	X	4	1	Δ	Δ	√	20
2. व्यावसायिक											
2.1 फुटकर दुकानें (अनुलग्नक–1 के अनुसार)	√	6	√	√	X	√	√	X	X	√	X
2.2 शोरूम	6	X	√	√	X	X	X	X	X	X	X
2.3 साप्ताहिक बाजार	Δ	7	√	√	X	X	X	X	Δ	6	√
2.4 थोक मण्डी/थोक व्यापार	X	X	11	Δ	X	X	X	X	X	X	Δ
2.5 नीलामी बाजार	X	X	7	√	X	Δ	Δ	X	X	X	Δ
2.6 बेकरी एवं कन्फेक्शनरी आटा चक्की (10 हार्स पावर तक)	√	6	√	√	X	X	X	X	X	√	X
2.7 कोयला तथा लकड़ी के टाल	6	7	7	7	Δ	X	Δ	X	X	6	Δ
2.8 कृषि उपजो के विकय केन्द	X	X	11	√	X	X	Δ	X	X	Δ	√
2.9 शीतगृह	X	X	11	√	X	X	Δ	X	X	X	Δ
2.10 रिसॉर्ट	X	X	√	X	X	X	X	X	X	X	Δ
2.11 होटल	7	7	√	√	X	√	Δ	X	X	Δ	X
2.12 मोटल, वे साइड रेस्तरां(ढाबा)	X	X	√	8	X	X	8	X	X	Δ	Δ
2.13 भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन	√	6	√	√	X	√	√	Δ	X	Δ	Δ
2.14 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	Δ	8	√	√	X	√	X	X	X	X	X
2.15 अस्थाई सिनेमा, सर्कस, प्रर्दशनी, मेला स्थल	7	8	8	8	X	8	Δ	Δ	√	Δ	√
2.16 पी.सी.ओ./सेल्यूलर मोबाइल सर्विस	√	√	√	√	X	√	√	X	X	√	Δ
2.17 पेट्रोल/डीजल फिलिंग स्टेशन	7	8	√	7	X	7	√	X	Δ	7	23
2.18 गैस गोदाम/गैस अधिष्ठान	X	X	Δ	√	X	X	Δ	X	X	X	Δ
2.19 भंडारणगोदाम, वेयरहाउस, संग्रहण केन्द्र, जंकयार्डकबाड़खाना	X	X	13	13	Δ	X	13	X	Δ	X	Δ

कियाएं (Activities)/उपयोग	भू–उपयोग जोन्स										
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यव.	उ.	सी.फ.	के.कि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. औद्योगिक											
3.1 सेवा/कुटीर उद्योग	15	12	Δ	√	X	X	X	X	X	√	X
3.2 सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क	17	17	17	√	X	X	X	X	X	X	X
3.3 लघु उद्योग	X	X	24	√	X	X	X	X	X	Δ	X
3.4 वृहद् उद्योग, शुगर मिल, राइस सेलर, फ्लोर मिल	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Δ
3.5 संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक उद्योग	X	X	X	Δ	Δ	X	X	X	X	X	Δ
3.6 खनन, ईंट/चूने का भट्ठा, केशर	X	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	Δ
3.7 तेल डिपो/एल.पी.जी. रिफिलिंग प्लांट	X	X	X	X	X	X	Δ	X	X	X	Δ
3.8 पाश्चराइजिंग प्लान्ट दुग्ध संग्रहण केन्द्र	X	X	X	√	X	Δ	Δ	X	X	X	Δ
3.9 विद्युत उत्पादन संयन्त्र/केन्द्र	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	X	Δ
4. कार्यालय											
4.1 राजकीय, अर्द्ध–राजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय	6	7	√	20	X	20	20	X	X	Δ	X
4.2 निजी कार्यालय, एजेण्ट कार्यालय, इत्यादि	√	19	√	√	X	20	20	X	X	√	X
4.3 बैंक	6	Δ	√	√	X	√	√	X	X	Δ	X
4.4 वाणिज्यिक/व्यापारिक कार्यालय	6	X	√	√	X	X	Δ	X	X	X	X
4.5 श्रमिक कल्याण केन्द्र	X	X	Δ	√	X	√	Δ	X	X	X	X
4.6 पी.ए.सी./पुलिस लाइन्स	X	X	Δ	Δ	X	Δ	Δ	X	X	X	Δ
4.7 मौसम अनुसंधान केन्द्र/वायरलेस केन्द्र/वेधशाला	X	X	Δ	Δ	X	Δ	Δ	X	X	X	√
5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं											
5.1 अतिथि गृह, निरीक्षण गृह	Δ	Δ	√	√	X	√	Δ	X	Δ	6	Δ
5.2 धर्मशाला, रैन–बसेरा, लाजिंग/बोर्डिंग हाउस	6	6	√	√	X	√	Δ	X	X	6	X
5.3 छात्रावास	6	6	√	X	X	√	X	X	X	6	X
5.4 अनाथालय, सुधारालय	Δ	Δ	Δ	X	X	√	X	X	X	√	Δ
5.5 कारागार	X	X	X	X	X	Δ	X	X	X	X	Δ
5.6 हैण्डीकैप्ड चिल्ड्रेन हाउस	6	6	X	X	X	√	X	X	X	6	Δ
5.7 शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र	√	√	√	Δ	X	√	X	X	X	√	X
5.8 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र	X	√	X	Δ	X	√	X	X	X	√	Δ
5.9 प्राथमिकता शैक्षिक संस्थान	6	6	Δ	X	X	√	X	X	X	√	X
5.10 उच्च माध्यमिक इण्टर/महा विद्यालय	6	7	X	X	X	√	X	X	X	7	Δ
5.11 विश्वविद्यालय	X	X	Δ	X	X	√	X	X	X	X	Δ
5.12 पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल/डेन्टल कालेज	X	X	X	Δ	X	√	X	X	X	X	Δ
5.13 प्रबन्धक संस्थान/विशिष्ट शैक्षिक संस्थान	Δ	X	√	Δ	X	√	X	X	X	Δ	X

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	भू–उपयोग जोन्स										
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यय.	उ.	सी.फ.	के.क्रि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आव.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14 डाकघर, तारघर	√	6	√	√	X	√	√	X	X	√	Δ
5.15 पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र	√	7	√	√	X	√	√	X	X	Δ	Δ
5.16 पुस्तकालय/वाचनालय	√	6	√	X	X	√	X	X	X	√	X
5.17 स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी	9	√	√	√	X	√	√	X	X	√	X
5.18 अस्पताल	10	X	√	10	X	√	X	X	X	10	22
519 नर्सिंग होम	9	9	√	10	X	√	X	X	X	9	X
5.20 नैदानिक प्रयोगशाला	√	X	√	√	X	√	X	X	X	X	22
5.21 हेल्थ क्लब/जिमनेजियम	√	√	√	Δ	X	√	X	X	X	√	X
5.22 विद्युत शवदाह गृह,श्मशान, कब्रिस्तान	X	X	X	X	Δ	14	X	X	X	X	Δ
5.23 संगीत/नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	6	6	√	X	X	√	X	X	X	6	X
5.24 सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पेण्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, इत्यादि	√	19	√	√	X	√	X	X	X	√	X
5.25 आडिटोरियम, नाट्यशाला, थिएटर	X	7	√	8	X	√	X	21	X	X	21
5.26 योग, मनन, आध्यात्मिक, धार्मिक प्रवचन केन्द्र/सत्संग भवन	6	7	X	X	X	√	X	21	21	√	21
5.27 धार्मिक भवन	6	√	√	Δ	X	√	Δ	X	X	6	X
5.28 सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	6	7	6	Δ	X	√	7	X	X	6	X
5.29 बारात घर, बैक्वेट हाल	Δ	Δ	7	Δ	X	√	X	X	X	Δ	X
5.30 कान्फ्रेन्स/मीटिंग हाल	6	Δ	√	√	X	√	Δ	X	X	Δ	X
5.31 अजायबघर	X	X	√	X	X	√	X	X	X	X	Δ
5.32 आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	21	7	√	21	X	√	21	21	21	X	21
5.33 टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र	Δ	X	√	X	X	√	X	X	X	X	Δ
5.34 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र	X	Δ	√	20	X	√	X	X	X	X	Δ
5.35 समाज कल्याण केन्द्र	Δ	X	√	Δ	X	√	X	X	X	Δ	X
6. सार्वजनिक उपयोगिताएं											
6.1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट, कूड़ा डम्पिंग, ग्राउण्ड इत्यादि	X	X	X	14	√	14	X	X	√	Δ	√
6.2 ट्यूब–वेल, ओवर हेड रिजर्वायर, विद्युत केन्द्र/सब–स्टेशन	√	√	√	√	√	√	√	Δ	√	√	√
6.3 वाटर वर्क्स	X	X	Δ	Δ	√	√	X	X	Δ	Δ	√
6.4 माइकोवेव केन्द्र	X	X	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	√
6.5 कम्पोस्ट प्लान्ट	X	X	X	X	√	X	X	X	Δ	X	√
6.6 पशुबधशाला	X	X	X	X	√	14	X	X	14	X	14
6.7 सेल्लुलर/मोबाइलटावर	√	√	√	√	Δ	√	√	Δ	Δ	√	√

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	भू–उपयोग जोन्स										
	निर्मित क्षेत्र	विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यय.	उ.	सी.फ.	के.क्रि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.यातायात एवं परिवहन											
7.1 पार्किंग स्थल	✓	✓	✓	✓	Δ	✓	16	21	✓	✓	Δ
7.2 टैक्सी, टेम्पो, रिक्शा आदि के स्टैण्ड/बस स्टाप	✓	✓	✓	✓	Δ	✓	16	X	✓	✓	Δ
7.3 ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो	X	X	X	Δ	X	X	✓	X	X	X	Δ
7.4 बस स्टैण्ड	7	7	7	7	X	7	16	X	✓	7	Δ
7.5 बस टरमिनल	X	X	23	X	X	Δ	✓	X	X	X	Δ
7.6 मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप	7	X	✓	✓	X	X	✓	X	X	6	Δ
7.7 मोटरचालन प्रशिक्षण केन्द्र	X	X	✓	Δ	X	X	✓	X	✓	X	Δ
7.8 लोडिंग–अनलोडिंग प्लेटफार्म	7	X	✓	✓	X	X	✓	Δ	21	6	Δ
7.9 रेलवे गोदाम, रेलवे वार्ड/साइडिंग/टरमिनल	X	X	Δ	Δ	X	X	✓	X	X	X	Δ
7.10 धर्मकॉटा	7	X	11	7	X	X	✓	X	✓	6	Δ
7.11 एअरपोर्ट	X	X	X	X	X	X	✓	X	X	X	Δ
8. पार्क, कीड़ा/खुले स्थल											
8.1 पार्क, कीड़ा/खेल का मैदान	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.2 बहुउद्देशीय खुले स्थल	7	7	Δ	Δ	Δ	✓	X	✓	Δ	7	Δ
8.3 गोल्फ/रेसकोर्स	X	X	X	X	X	Δ	X	Δ	X	X	Δ
8.4 स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र	Δ	X	✓	X	X	✓	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
8.5 कारवॉं पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल	X	X	X	X	X	X	X	21	✓	X	21
8.6 ट्रैफिक पार्क	X	X	X	X	X	Δ	✓	Δ	✓	X	Δ
8.7 मनोरंजन पार्क	6	Δ	Δ	Δ	X	✓	Δ	21	Δ	6	Δ
8.8 क्लब, स्वीमिंग पुल	6	6	✓	✓	X	✓	Δ	Δ	Δ	6	Δ
8.9 चिड़ियाघर, जल जीवशाला,वन्य जीव/पक्षी शरण स्थल	X	X	X	X	X	X	X	X	✓	Δ	Δ
8.10 फ्लांइग क्लब/हैलीपैड	X	X	X	Δ	X	21	✓	Δ	Δ	Δ	Δ
8.11 शूटिंग रेन्ज	X	X	X	X	Δ	X	X	X	Δ	X	Δ

क्रियाएं (Activities)/उपयोग	निर्मित क्षेत्र	भू–उपयोग जोन्स — विकासशील/अविकसित क्षेत्र									
		आ.	व्यय.	उ.	सी.फ.	के.क्रि.	या.परि.	पार्क	वनी.	ग्रा. आब.	कृषि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9. कृषि											
9.1 बागवानी, पौधशाला, उद्यान, वन, बॉटेनीकल गार्डन	√	√	√	√	Δ	√	Δ	√	√	√	√
9.2 फॉर्म हाउस	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Δ	Δ
9.3 चारागाह, दुग्धशाला(डेयरी फार्म)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Δ	√
9.4 धोबीघाट	Δ	X	X	Δ	Δ	Δ	Δ	X	√	Δ	√
9.5 सुअर, मत्स्य, कुक्कुट, मधुमक्खी पालन, पशु संबर्धन/प्रजनन केन्द्र	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	Δ	√
9.6 कृषि उपकरणों की मरम्मत/सर्विसिंग वर्कशाप	X	X	√	√	X	X	Δ	X	X	Δ	√
10. फ्लोटिंग उपयोग											
10.1 सार्वजनिक सुविधाएं एवं उपयोगिताएं	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	√	Δ	X	Δ	Δ	Δ
10.2 थोक व्यावसायिक	X	X	11	Δ	X	X	Δ	X	X	X	Δ
10.3 यातायात एवं परिवहन	Δ	X	Δ	Δ	X	Δ	√	X	Δ	Δ	X
10.4 सेवा/कुटीर उद्योग	Δ	12	Δ	√	X	X	X	X	X	Δ	X
10.5 विशेष उद्योग (संकटपूर्ण/खतरनाक/प्रदूषणकारक)	X	X	X	X	Δ	X	X	X	X	X	Δ

टिप्पणी : 1. इस मेट्रिक्स की व्याख्या (Interpretation) हेतु अनुलग्नक–4 का संदर्भ लें।
2.सशर्त अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग–3 का संदर्भ लें।